यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) के माह 08/2012 से 07/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 16.08.2018 से 25.08.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2012 से 07/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः नरेन्द्रनगर एवं देवप्रयाग हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	9.28	8.95	3.69	3.69	–	0.33	–	–
2013–14	0.33	–	2899.07	2384.79	117.12	117.11	–	514.61	–	0.01
2014–15	105.44	–	2438.56	2137.98	169.36	168.14	–	406.02	–	1.22
2015–16	155.73	–	1451.96	1311.27	186.28	175.69	–	296.42	–	10.59
2016–17	68.87	–	979.91	900.27	252.68	158.99	–	148.51	–	93.69
2017–18	17.86	–	2287.41	1468.72	152.35	144.74	–	836.55	–	7.61
2018–19 (7/18)	11.21	–	685.14	284.10	115.51	60.41	–	–	–	–

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को समर्पित की गई। प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि राज्य मद की धनराशि खण्ड के बैंक खाते में अवशेष थी।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	6.25	5.95	–	0.30
2013–14		–	2656.51	2247.41	–	409.10
2014–15		–	2012.37	1784.66	–	227.71
2015–16		–	1287.75	1067.83	–	219.92
2016–17		–	782.20	701.27	–	80.93
2017–18		–	2042.06	1244.27	–	797.79
2018–19 (7/18)		–	657.75	282.60	–	375.15

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन अथोराईजेशन के रुप में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

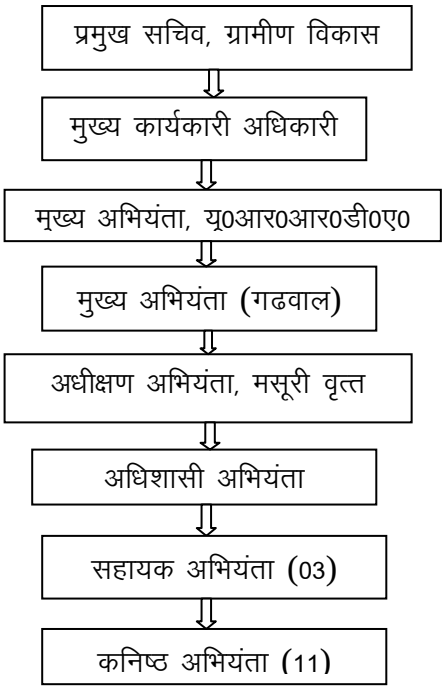

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2013, मार्च 2015 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 11 निर्माण कार्यों (पूर्ण–08 एवं प्रगतिरत–03) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 07/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में फरवरी 2016 तक का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 07/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 07/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 64.93 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) के चयनित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि दो मोटर मार्गों[1] के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल ''ब'' में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री {तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii)} का प्रावधान किया गया था, परन्तु दरों हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री के स्थान पर उच्च ग्रेड वाली मद (GSB by providing well graded material) की दरें ली गई थी तथा मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने के बावजूद जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों से भुगतान किया गया। यदि मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई तो विकास खण्डवार तत्कालीन दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाना चाहिए था। खण्ड द्वारा विस्तृत आगणन, तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्ध में कार्य मद जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (GSB sourse with local material) ली गई जिसकी दरें दर–अनुसूची में रु0 479.40 प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी, परन्तु जो दरें विस्तृत आगणन, तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्ध में ली गई थी वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) की थी जिसकी दर रु0 1264.50 प्रति क्यूबिक मीटर ली गई।

इसप्रकार, दोनों मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने एवं इस मद हेतु लागू दर–अनुसूची के विपरीत उच्चतर दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 64.93 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

कार्य का नाम	डी0पी0आर0/प्राविधिक/निविदा में जी0एस0बी0 की दर	अनुबन्धित/अन्तिम देयक की दर	दर–अनुसूची के अनुसार जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर	देयक के अनुसार आधिक्य (3-4)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रामपुर–श्यामपुर किमी0 9 से दन्सारा	1264.50	1250.00	479.40	770.60	3538.52	2726783.51
अद्वानी से ओडाडा	1264.50	1100.00	479.40	620.60	6069.01	3766427.61
योग :–						6493211.12

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि एन0आर0आर0डी0ए0 से स्वीकृत आगणन में well graded locally available GSB का प्रावधान था तथा दर भी तदनुसार ही थी। खण्ड द्वारा स्वीकृति के अनुरुप ही कार्य सम्पादित एवं भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद की स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्ध में निर्धारित थी तथा उसी मद का उपयोग

[1] रामपुर–श्यामपुर किमी0 9 से दन्सरा एवं अद्वानी से ओडाडा

वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में भी किया गया हो तो उसी मद की दर–अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 64.93 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरुप रु0 103.61 लाख व्ययावर्तन सहित रु0 133.11 लाख की राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर मार्ग के किमी0 8 से 14 तक डागर बसावट के 6.00 किमी0 स्टेज–।। मोटर मार्ग निर्माण हेतु फेस–XII में रु0 408.16 लाख (निर्माण : रु0 376.31 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 31.85 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (04.02.2014)। मुख्य अभियंता (स्तर–2), पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष समस्त धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (22.05.2014)। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 347.64 लाख (निर्माण : रु0 328.36 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 19.28 लाख) का अनुबन्ध संख्या 24/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0 वाई0/2014–15 दिनॉक 01.10.2014 गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः 01.10.2014 एवं 31.12.2015 थी परन्तु उक्त कार्य अपूर्ण अवस्था में ही दिनॉक 01.08.2017 को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को हस्तान्तरण किया गया।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) के नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर मार्ग के किमी0 8 से डागर मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग किमी0 01 से 08 एवं अन्तिम भाग किमी0 14 से 17 तक लोक निर्माण विभाग तथा बीच के किमी 08 से 14 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत था। मोटर मार्ग में अनुबन्ध के अनुरुप एक लेन में पहाड कटान एवं जी0एस0बी0 का कार्य प्रगतिरत था, परन्तु अनुबन्धित समयावधि (31.12.2015) से पूर्व ही शासन द्वारा नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर मार्ग के सम्पूर्ण भाग (लम्बाई 17.00 किमी0) को पी0एम0जी0 एस0वाई0 में स्वीकृत एवं अनुबन्धित एक लेन मोटर मार्ग सहित 1.50 लेन चौडाई में परिवर्तन किए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को रु0 2963.27 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (27.03.2015)। इसी परिपेक्ष में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 एवं अपर सचिव, लो0नि0वि0 के मध्य सम्पन्न बैठक (01.06.2015) में निर्णय लिया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत एवं अनुबन्धित एक लेन वाले भाग को 1.50 लेन चौडाई में गतिमान अनुबन्ध से ही किया जाएगा ताकि पूर्व में सम्पादित कार्य क्षतिग्रस्त न हो सके तथा इस अतिरिक्त कार्य हेतु धनराशि की मॉग राज्य सरकार से की जाएगी। खण्ड द्वारा अतिरिक्त चौडाई हेतु रु0 357.51 लाख का आगणन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया (15.06.2015), जिसके सापेक्ष शासन द्वारा अतिरिक्त चौडाई हेतु राज्य मद के अन्तर्गत रु0 357.51 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (15.01.2016)। खण्ड द्वारा ठेकेदार को इस अतिरिक्त कार्य के मद्देनजर दिनॉक 22.09.2017 तक बिना अर्थदण्ड के समयवृद्वि भी प्रदान की गई (29.02.2016)। ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित एवं अतिरिक्त कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने पर मुख्य अभियंता, स्तर–। द्वारा अनुबन्ध के अन्तिमीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया (25.02.2017)। लो0नि0वि0 द्वारा भी सम्पूर्ण कार्य को समय पर पूर्ण किए जाने हेतु इस भाग (6.00 किमी0) को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को हस्तान्तरण किए जाने हेतु अनुरोध (16.06.2017) किया गया, जिस पर मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा उक्त मोटर मार्ग के कार्यों को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को हस्तान्तरित करने के निर्देश दिए गये (24.07.2017)। अन्ततः पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत भाग (6.00 किमी0) को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को रु0 236.72 लाख व्ययोपरान्त (प्रोग्राम फण्ड : रु0 133.11 लाख एवं राज्य मद रु0 103.61 लाख) हस्तान्तरित किया गया (01.08.2017)। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अन्तिमीकरण तथा हस्तान्तरण के समय तक निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए गये थेः–

क्र0	अनुबन्धित कार्य	सम्पादित कार्य
1.	पहाड कटान एक लेन	100 प्रतिशत
	पहाड कटान 1.50 लेन	85 प्रतिशत
2.	जी0एस0बी0 प्रथम सतह	5.75 किमी0
3.	जी0एस0बी0 द्वितीय सतह	5.60 किमी0
4.	जी02	1.625 किमी0

भारत सरकार द्वारा निर्माण हेतु रु0 376.31 लाख एक लेन के लिए स्वीकृत एवं अवमुक्त किया गया था। योजना के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11.1 के अनुसार यदि मोटर मार्ग को 1.50 लेन में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी थी तो अतिरिक्त चौडाई हेतु न केवल अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए थी, अपितु इस परिवर्तन हेतु एन0आर0आर0डी0ए0 भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 357.51 लाख के सापेक्ष कोई भी धनराशि खण्ड कार्यालय को अवमुक्त नहीं की गई, जिसके कारण ठेकेदार को अतिरिक्त पहाड कटान हेतु रु0 103.61 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रदत्त प्रोग्राम मद से किया गया, जो कि योजना की दिशा–निर्देशों के विपरीत था। इसीकारण, उक्त मोटर मार्ग हस्तान्तरण के बावजूद भी ओमास (भारत सरकार की ऑनलाईन साईट) एवं खण्ड के अभिलेखों में प्रगतिरत है तथा तब तक प्रगतिरत ही रहेगा जब तक कि एन0आर0आर0डी0ए0 इसकी अनुमति न दे या स्वीकृत मार्ग को निरस्त कर सम्पूर्ण राशि वापस न ले। यदि ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया था तो बिडिंग डाक्युमेंट के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी अर्थात अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर पुनः निविदा की जानी चाहिए थी ताकि भारत सरकार से स्वीकृत एवं अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का पूर्ण उपयोग हो सके। खण्ड में इस तरह के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करे कि उक्त मोटर मार्ग को निरस्त कर धनराशि एन0आर0आर0डी0ए0 को समर्पण की गई है तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। इसप्रकार, मोटर मार्ग के 1.50 लेन में परिवर्तित होने एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण से पूर्व एन0आर0आर0डी0ए0 से अनुमति प्राप्त न किए जाने के परिणामस्वरुप अपूर्ण मोटर मार्ग पर रु0 103.61 लाख व्ययावर्तन सहित रु0 133.11 लाख की अतिरिक्त देयता राज्य सरकार पर पडी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्ग को निरस्त किए जाने या धनराशि के समायोजन हेतु यू0आर0आर0डी0 स्तर से कार्रवाई गतिमान है।

अतः अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरुप रु0 103.61 लाख व्ययावर्तन सहित रु0 133.11 लाख की राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: प्रावधान के अनुरुप कार्य न किए जाने के कारण रु0 2.89 लाख की शासकीय हानि।

स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेंट के प्रस्तर 34.3 एवं 36.3 के अनुसार यदि ठेकेदार अनुबन्ध में दी गई मात्राओं के अतिरिक्त 25 प्रतिशत से अधिक कार्य करता है अतिरिक्त कार्य का भुगतान वर्तमान बाजार मूल्य से किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) के नाई सिलखिणी से मठयाली मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति में मदों की स्वीकृत मात्राओं से कम मात्राओं को निविदा में सम्मिलित किया गया तथा निर्माण कार्य के दौरान इन मदों को अतिरिक्त मात्रा में कार्य सम्पादित कर बाजार दर से भुगतान किया गया। यदि इन स्वीकृत मात्राओं को पूर्व में ही निविदा में सम्मिलित किया जाता तो रु0 2.89 लाख की शासकीय हानि से बचा जा सकता था। विवरण निम्नवत् हैः–

मद का नाम	प्राविधिक स्वीकृत की मात्रा (क्यूमी0)	निविदा हेतु मात्रा (क्यूमी0)	अनुबन्ध की दर (रु0 में)	अनुबन्ध की दर पर सम्पादित मात्रा (क्यूमी0)	अतिरिक्त सम्पादित मात्रा (क्यूमी0)	अतिरिक्त मात्रा की दर (रु0 में)	अधिक दर (रु0 में) (7 - 4)	अधिक भुगतान (रु0 में) (6 x 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RR stone masonary 1:5	4147.86	3110.895	1951.00	3767.97	120.17	2922.30	971.30	116721.12
HP stone filling back in wall	7743.84	5807.88	230.00	2065.97	75.08	571.00	341.00	25602.28
Boulder apron laid in wire crates	4533.75	3400.315	1150.00	2261.93	135.00	1985.10	835.10	112738.50
Excavation for structure	10857.38	8143.035	70.00	8773.30	223.10	222.60	152.60	34045.06
योगः–								289106.96

अधिक भुगतान किए जाने का प्रकरण उपरोक्त तालिका से स्वतः ही स्पष्ट होता है क्योंकि एक तो खण्ड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा पर निविदा की गई तथा अतिरिक्त मात्रा के रुप में बाजार दर से भुगतान किया गया। दूसरा क्रमांक 2 एवं 3 की मदों में निविदा/अनुबन्ध में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा पर कार्य सम्पादित किए जाने के बावजूद भी अतिरिक्त मात्रा का भुगतान बाजार दर से किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि अतिरिक्त कार्य हेतु दैवी आपदा के अन्तर्गत राज्य मद से स्वीकृति प्राप्त हुई। ठेकेदार द्वरा अनुबन्धित दरों पर कार्य करने में असहमति प्रकट करने की दशा में तत्समय लागू दरों पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त कार्य सम्पादित करवाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कार्य की समस्त मदें पूर्व से ही अनुबन्धित मदों में सम्मिलित थी तथा इन मदों की दरें भी निर्धारित थी तो ठेकेदार को उन्हीं दरों पर भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः प्रावधान के अनुरुप कार्य न किए जाने के कारण रु0 2.89 लाख की शासकीय हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर रु0 39185 का अधिक वेतन भुगतान।

सातवे वेतन आयोग के शासानादेश संख्या 290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28दिसम्बर,2016 के दिशा निर्देश के बिन्दु स 7.के उप खण्ड (1 क) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर में संबन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57के गुणांक के विध्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जाएगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (cell) में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (cell) की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) मे कार्यरत श्री संजय कुमार रतुड़ी, प्रधान सहायक की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में दिनॉक 31.12.2015 को मूल वेतन (4200+10530=14730) था। अतः सातवे वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.2016को मूल वेतन (14730*2.57=37856) तथा वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (cell) की राशि रु0 38700 लेवल 6-के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित और वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन रु0 39900/– होना चाहिए था, जबकि कार्यालय द्वारा श्री संजय कुमार रतुड़ी, प्रधान सहायक का दिनांक 01.01.2016को मूल वेतन रु0 39900/– में निर्धारण किया गया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन रु0 41100/– निर्धारित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

दिनॉक	देय राशि				भुगतानित राशि				भुगतान में अन्तर	दिन/माह	वास्तविक भुगतान में अन्तर
	वेतन	ग्रेड वेतन	मंहगाई भत्ता	योग	वेतन	ग्रेड वेतन	मंहगाई भत्ता	योग			
01.07.2015 से 31.12.2015	10530	4200	0	14730	10530	4200	0	14730	0	0	0
01.01.2016	38700	0	0	38700	39900	0	0	39900	1200	0	
01.01.2016 से 30.06.2016	39900	0	(0%)	39900	41100	0	0	41100	1200	06 माह	7200
01.07.2016 से 31.12.2016	39900	–	399 (1%)	40299	41100	–	411	41511	1212	06 माह	7272
01.01.2017 से 30.06.2017	41100	–	1233 (3%)	42333	42300	–	1269	43569	1236	06 माह	7416
01.07.2017 से 31.12.2017	41100	–	2055 (5%)	43155	42300	–	2115	44415	1260	06 माह	7560
01.01.2018 से 30.07.2018	42300	–	2961 (7%)	45261	43600	–	3052	46652	1391	07 माह	9737
योगः–											**39185**

इसप्रकार, उक्त कार्मिक को दिनॉक 01.01.2016 से 31.07.2018 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर रु0 39185 का अधिक वेतन भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि लिपिकीय त्रुटिवश ऐसा हुआ जिसकी वसूली सम्बन्धित कार्मिक के आगामी वेतन देयकों से कर ली जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर रु0 39185 का अधिक वेतन भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री आर0के0 जैन	अधिशासी अभियंता	22.08.2012 से 04.02.2013
2.	श्री शिवकुमार राय		05.02.2013 से 05.10.2013
3.	श्री के0एस0 असवाल		06.10.2013 से 31.12.2013
4.	श्री पियुष पाल गर्ग		01.01.2014 से 31.10.2016
5.	श्री दिनेश मोहन गुप्ता		01.11.2016 से 10.11.2016
6.	श्री अरुण कुमार नेगी		11.11.2016 से 02.12.2016
7.	श्री आर0वी0 तिवारी		03.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र